छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2011 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 29 मार्च, 2011 (चैत्र 8, 1933)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य का भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए (राजस्व प्राप्तियां) छत्तीसगढ़ शासन **पटल पर रखेंगे.**

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) सर्वश्री धर्मजीत सिंह, देवजी भाई पटेल, विरेन्द्र कुमार साहू, सदस्य, डॉल्फिन स्कूल के संचालक के गायब होने से उत्पन्न स्थिति की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री भीमा मण्डावी, सदस्य, जिला दंतेवाड़ा के आकाश नगर, काठमांडू कैम्प निवासियों को एन.एम.डी.सी. द्वारा बेदखल किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) डॉ. सुभाऊ कश्यप, सभापति, पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री फूलचंद सिंह, सभापति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्रीमती लक्ष्मी बघेल, सदस्य, बलौदाबाजार में पॉलीटेक्निक कालेज खोलने,

(2) श्री महन्त रामसुन्दर दास, सदस्य, जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

- (i) ग्राम खजुरानी से मलनी तक पुल पुलिया सहित पक्की सड़क निर्माण करने,
- (ii) ग्राम सरवानी से ठुठी के मध्य सोन नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण करने,
- (iii) मुख्य मार्ग से चारपारा होते हुए पटेल मोहल्ला बम्हनीडीह तक डामरीकरण करने,
- (iv) विकासखण्ड मुख्यालय बम्हनीडीह में महाविद्यालय खोलने,
- (v) ग्राम मुक्ता से बनडभरा के मध्य सोन नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण करने,
- (vi) ग्राम सोनादह से अरसिया के मध्य सोन नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण करने,

क्रमश: 2

(3) श्री नंद कुमार साहू,सदस्य, पाटन विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मर्रा में संचालित हाई स्कूल हेतु नवीन भवन निर्माण करने तथा

(4) श्री विरेद्र कुमार साहू, सदस्य, गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चंदनबिरही में तांदुला नदी पर एनीकट निर्माण करने

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री अमर अग्रवाल,वाणिज्यिक कर मंत्री,छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक,2011 (क्रमांक 5 सन् 2011) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन मंत्री, छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 8 सन् 2011) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(3) श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन मंत्री, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 9 सन् 2011) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(5 बजे तक) (4) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2011 (क्रमांक 3 सन् 2011) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

निर्धारित समय

15 मिनट (5) श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 2 सन् 2011) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

1 घंटा (6) श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण विधेयक, 2011 (क्रमांक 4 सन् 2011) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

15 मिनट (7) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन)विधेयक, 2011 (क्रमांक 6 सन् 2011) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

30 मिनट (8) श्री अमर अग्रवाल, राजस्व मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 7 सन् 2011) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

रायपुर
दिनांक 28 मार्च, 2011

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.